

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस10 )

वाद सं0 : 1009 सन 2021

अनवान :-

1. मीरा देवी पत्नी जोतराम जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. चन्द्रकला पुत्री जोतराम जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. धर्मा पुत्री जोतराम जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. माया पुत्री जोतराम जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. सुमद्रा पुत्री जोतराम जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. राकेश पुत्र जोतराम जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. नारायणसिंह पुत्र जोतराम जाति मेधवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व-नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रामकुमार बेंनीवालल अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 01.11.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 204/161 की कुल 1.2650 हेक्टेर भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता जोतराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम विरास्तन से दर्ज हुई है अर्थात से विरास्तन से भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 से दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 वादी के पुत्र/पुत्रीयो है जिनके नाम से वाद भूमि दर्ज है जो उनके पिता के देहान्त होने के बाद दर्ज हुई प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपनी माता वादीया के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीया के हक हिरसा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का दाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जो वादी पुत्र/पुत्रीया है के नाम से दर्ज भूमि को वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का दाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता जोतराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपनी माता वादीया के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार कारतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

न्यायाधिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति / मजमे आम की सहमति / जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जाये।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 204/161 की कुल 1.2650 हेक्ठर भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से दर्ज है।

वादीया का कथन है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से दर्ज है जो उनके पिता जोतराम के देहान्त होने पर विरास्तन से दर्ज हुई जो वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हक हिरसा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर इकवाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीया के हक हिरसा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सवुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर घस्या होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सवुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 204/161 की कुल 1.2650 हेक्ठर भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सालग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि दैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे ध्यर वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीय तकमील जाब्ता दाखिल दपतर हो ॥

निर्णय आज दिनांक 01.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपरखण्ड अधिकारी ( राजस्व )

नौहस ( हुनुमानगढ )

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021

कैम्प कोर्ट... टिडियासर



सत्यमेव जयते

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. मीरा देवी पत्नी जोतराम जाति मेघवाल निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. चन्द्रकला पुत्री जोतराम जाति मेघवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. धर्मा पुत्री जोतराम जाति मेघवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. माया पुत्री जोतराम जाति मेघवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. सुभद्रा पुत्री जोतराम जाति मेघवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. राकेश पुत्र जोतराम जाति मेघवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. नारायणसिंह पुत्र जोतराम जाति मेघवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1009 सन 2021 निर्णय दिनांक-01.11.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 204/161 की कुल 1.2650 हेक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे वय्य वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ़ )

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021  
कैम्प कोर्ट...टिडियासर